

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 जुलाई 2017—आषाढ़ 31, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 32.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत लोक निर्माण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.3	ठेकेदारों का पंजीयन कार्य.	मुख्य अभियंता (यो./ब) लोक निर्माण विभाग, संभाग भोपाल.	15 कार्य दिवस.	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग.	15 कार्य दिवस.	सचिव, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 33.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.1	औषध विनिर्माण के लिए एल-1 लाईसेंस.	जिला स्तर पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	आबकारी आयुक्त, म. प्र.	10 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य कर विभाग.
33.2	औषध विनिर्माण के लिए एल-2 लाईसेंस.	जिला स्तर पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	जिला कलेक्टर	10 कार्य दिवस.	आबकारी आयुक्त, म. प्र.

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 2.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.20	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6, 7 सपठित	मुख्य कारखाना निरीक्षक म. प्र. इंदौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म. प्र., इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	नियम 3-ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना.					
2.21	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम 1983 की धारा 9 से पठित नियम 3 के अंतर्गत खतरनाक मशीन के विनिर्मातों/व्यापारियों को नवीन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति नवीनीकरण जारी किया जाना.	नियंत्रक, मुख्य कारखाना, म. प्र. इंदौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म.प्र. इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/सचिव श्रम विभाग.
2.22	बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का प्रदाय.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त
2.23	बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त
2.24	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014.	ग्रामीण क्षेत्र-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. शहरी क्षेत्र— अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत. कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर संभाग आयुक्त कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम पदाधिकारी.	30 कार्य दिवस.	सहायक श्रमायुक्त.	30 कार्य दिवस.	उप श्रमायुक्त
2.25	औजार उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना.	ग्रामीण क्षेत्र-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. शहरी क्षेत्र- अ. आयुक्त नगर निगम. ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर परिषद्.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत. कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर संभाग आयुक्त कलेक्टर
2.26	व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन अनुदान योजना 2013.	सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम पदाधिकारी.	30 कार्य दिवस.	संबंधित संभाग के सहायक श्रमायुक्त.	30 कार्य दिवस.	उप श्रमायुक्त
2.27	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना 2014.	ग्रामीण क्षेत्र-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. शहरी क्षेत्र- अ. आयुक्त नगर निगम. ब. मुख्य नगरपालिका / अधिकारी, नगरपालिका नगर परिषद्.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत. कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर संभाग आयुक्त कलेक्टर
2.28	व्यवसायिक UGPG पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना.	ग्रामीण क्षेत्र-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत. शहरी क्षेत्र- अ. आयुक्त नगर निगम. ब. मुख्य नगरपालिका / अधिकारी, नगरपालिका नगर परिषद्.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत. कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर संभाग आयुक्त कलेक्टर
2.29	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना.	ग्रामीण क्षेत्र-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	शहरी क्षेत्र- अ. आयुक्त नगर निगम.			कलेक्टर		संभाग आयुक्त
	ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद्.			अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.		कलेक्टर
	समस्त सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम पदाधिकारी.			स म र त स ह ा य क श्रमायुक्त.		समस्त उप श्रमायुक्त.
2.30	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना.	सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम पदाधिकारी.	30 कार्य दिवस.	संबंधित संभाग के सहायक श्रमायुक्त.	30 कार्य दिवस.	उप श्रमायुक्त
2.31	साइकिल अनुदान योजना 2014.	ग्रामीण क्षेत्र- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
	शहरी क्षेत्र- अ. आयुक्त नगर निगम.			कलेक्टर		संभाग आयुक्त
	ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्.			अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.		कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 18.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा

तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.8	जन्म प्रमाण में बच्चे का नाम जुड़वाना.	ग्रामीण क्षेत्र-पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक.	7 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	21 कार्य दिवस.	जिला योजना अधिकारी.
		नगरीय क्षेत्र- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/सिविल अस्पताल के इस हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरपरिषद्.	7 कार्य दिवस.	जिला योजना अधिकारी	21 कार्य दिवस.	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 13.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.5	मिट्टी नमूना परीक्षण	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी/सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी/मिट्टी	30 कार्य दिवस.	जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास.	15 कार्य दिवस.	संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		परीक्षण प्रयोगशाला प्रभारी/नोडल अधिकारी (स्वाईल हेल्थ कार्ड).				
13.6 बीज नमूना परीक्षण (सर्विस सेम्पल).		बीज परीक्षण अधिकारी, संभागीय राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला.	60 कार्य दिवस.	संभागीय मुख्यालय का उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.